संख्या-277/2017/2155/22-2-2016-17(43)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषय:- जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशिक अली पुत्र श्री लाल मोहम्मद उर्फ लाले, निवासी जनपद-गोण्डा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी आशिक अली पुत्र श्री लाल मोहम्मद उर्फ लाले, ग्राम-अन्दूपुर, थाना-परसपुर, जनपद-गोण्डा का निवासी है। पुरानी रंजिश में दिनांक 10.08.2001 को सुबह 10.30 बजे बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते में जा रहे विपक्षी के परिवार के सदस्यों पर गन्ने के खेत में एकाएक बल्लम, फरसा, गडासे, भाला तथा लाठी से हमला कर दिया, जिसमें अली रजा व उसके पुत्र जान मोहम्मद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-238/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 में मा0 विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, गोण्डा के आदेश दिनांक 08-06-2006 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.08.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष 11 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते में जा रहे विपक्षी के परिवार के सदस्यों पर गन्ने के खेत में एकाएक बल्लम, फरसा, गडासे, भाला तथा लाठी से हमला कर दिया, जिसमें अली रजा व उसके पुत्र जान मोहम्मद नामक 02 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-41 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आशिक अली पुत्र श्री लाल मोहम्मद उर्फ लाले, निवासी जनपद-गोण्डा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी आशिक अली (बन्दी संख्या-352/06) पुत्र श्री लाल मोहम्मद उर्फ लाले, निवासी जनपद-गोण्डा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-277/2017/2155(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मिर्जापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-277/2017/2155@22-2-2016-17(43)/2016

दिनांक 31 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध बन्दी आशिक अली (बन्दी संख्या-352/06) पुत्र श्री लाल मोहम्मद उर्फ लाले, ग्राम-अन्दूपुर, थाना-परसपुर, जनपद-गोण्डा का निवासी है। पुरानी रंजिश में दिनांक 10.08.2001 को सुबह 10.30 बजे बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते में जा रहे विपक्षी के परिवार के सदस्यों पर गन्ने के खेत में एकाएक बल्लम, फरसा, गडासे, भाला तथा लाठी से हमला कर दिया, जिसमें अली रजा व उसके पुत्र जान मोहम्मद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-238/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 में मा0 विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, गोण्डा के आदेश दिनांक 08-06-2006 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.08.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष 11 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते में जा रहे विपक्षी के परिवार के सदस्यों पर गन्ने के खेत में एकाएक बल्लम, फरसा, गडासे, भाला तथा लाठी से हमला कर दिया, जिसमें अली रजा व उसके पुत्र जान मोहम्मद नामक 02 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-41 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आशिक अली पुत्र श्री लाल मोहम्मद उर्फ लाले, निवासी जनपद-गोण्डा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in